न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/132/2021	2021/252	17.08.2021	18.11.2022

1. भजनलाल पुत्र भगवान जाति माली निवासी ग्राम गुजुकी तहसील अलवर जिला अलवर।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार अलवर जिला अलवर

—असल रेस्पौडेन्ट

2. नंदलाल पुत्र भगवान जाति माली निवासी ग्राम गुजुकी तहसील अलवर जिला अलवर।

—तरतीबी रेस्पौडेन्ट

व

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/142/2021	2021/260	07.09.2021	18.11.2022

1. नंदलाल पुत्र भगवान जाति माली निवासी ग्राम गुजुकी तहसील अलवर जिला अलवर।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार अलवर जिला अलवर

—असल रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार अलवर दिनांक 10.08.2021 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 77/2021

उपस्थितः—

01—श्री रामबहादुर सिंह —वकील अपीलाण्ट्स

—:निर्णयः—

अपीलान्ट्स ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 10.08.2021 जिसके द्वारा अपीलान्ट्स को ग्राम गूजुकी के आराजी खसरा नम्बर 747 रकबा 0.09 है० में से 0.04 है० किंस्म गै0मु0रास्ता पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम गूजुकी के आराजी खसरा नम्बर 747 रकबा 0.09 है० में से 0.04 है० किंस्म गै0मु0रास्ता पर रूडी डालकर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 02.07.2021 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट्स को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट्स को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट्स को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किये जाने के आदेश फरमावें।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है। अपील में ग्रामवासीयान गूजुकी द्वारा पेश प्रा0पत्र दिनांक 24.08.2021 व 08.09.2021 का अवलोकन किया। अवलोकन से पाया कि ग्रामवासीयान द्वारा निवेदन किया कि अपीलाधीन विवादित आराजी पर अपीलांट्स द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है तथा उक्त अपीलांट्स द्वारा ग्रामवासीयान को परेशान किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया हुआ है। इसलिए इनके द्वारा दायर अपील नामंजूर की जाकर अपीलांट्स को निर्धारित सजा से दण्डित किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका पर्चा दिनांक 02.07.2021 अनुसार दिनांक 07.06.

जिला कलक्टर, अलवर

अपीलांट्स को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया हुआ है। इसलिए इनके द्वारा दायर अपील नामंजूर की जाकर अपीलांट्स को निर्धारित सजा से दण्डित किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका पर्चा दिनांक 02.07.2021 अनुसार दिनांक 07.06.2021 को रास्ते का सीमाज्ञान भू–प्रबंध विभाग द्वारा किया गया था जो दिनांक 14.06.2021 को निशानदेही पश्चात पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त कर रास्ते को खुलवाया गया। परन्तु उसके उपरांत भी अतिक्रमियों द्वारा रास्ते को पुनः अवरूद्ध कर दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलाट्स द्वारा गै0मु0रास्ते पर अतिक्रमण पाया जाना सिद्ध होता है। अपील अपीलांट्स खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 10.08.2021 यथावत रखा जाता है। न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 21.09.2021 को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर